रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 1986/माघ 18, 1907

No. 65] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 1986/MAGHA 18, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1986

अधिसूचना

सा०का०नि० 95(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1986 को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 में,—

(1) नियम 6 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात्:—

"(2) 1 अप्रैल, 1986 को या उसके पश्चात् खोले गये खाते में, मासिक जमा की रकम, कम से कम दस रुपये के अधीन रहते हुए, पांच रुपये का गुणक होगी।"

(2) नियम 8 में, उपनियम (1) के नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जायेगी, अर्थात्:—

"अग्रिम जमा	10 रुपये के मूल्य वर्ग के खाते के लिये रिबेट
(1) किसी कलेंडर मास में की गई छह या उससे अधिक जमा किन्तु, ग्यारह जमा से अधिक नहीं।	एक रुपया
(2) किसी कलेंडर मास में की गई बारह या अधिक जमा	प्रत्येक बारह जमा के लिये चार रुपये और छह जमा से अन्यून के अतिशेष, यदि कोई हो, के लिये एक रुपया।";

(3) नियम 13 में,—

(क) उपनियम (1) में,—

(i) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात्:—

"(i) इस नियम के अधीन संपूर्ण परिपक्वता मूल्य का संदाय, पचास रुपये के मूल्य वर्ग के किसी खाते के परिपक्वता मूल्य तक निर्बन्धित होगा।"

(ii) खंड (IX) का लोप किया जायेगा;

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"2. (क) यदि किसी जमाकर्ता या उत्तरजीवी जमाकर्ता के पास पचास रुपये मूल वर्ग से अनधिक के एक से अधिक खाते है तो इस नियम के अधीन संदाय का फायदा ऐसे सभी खातो की बाबत, जो यथास्थिति, जमाकर्ता या उत्तरजीवी जमाकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये, पचास रुपये के मूल्य वर्ग के खाते की अधिकतम परिपक्वता मूल्य के अधीन रहते हुए, उपलब्ध होगा।

(ख) यदि किसी जमाकर्ता या उत्तरजीवी जमाकर्ता के पास पचास रुपये के मूल्य वर्ग से अधिक के एक से अधिक खाते हैं, तो इस नियम के अधीन संदाय का फायदा, केवल उसी खाते की बाबत, जो यथास्थिति जमाकर्ता या उत्तरजीवी जमाकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, पचास रुपये के मूल्य वर्ग के खाते के अधिकतम परिपक्वता मूल्य के अधीन रहते हुए, उपलब्ध होगा।

परन्तु यह कि कोई जमाकर्ता या कोई उत्तरजीवी जमाकर्ता, उस डाकघर बचत बैंक को, जहा उसको खाता रखा गया है, मे आवेदन कर के, खड (क) या खंड (ख) मे निर्दिष्ट खाता बदल सकेगा।

(ग) यदि किसी जमाकर्ता या किसी उत्तरजीवी जमाकर्ता ने, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) के अधीन कोई खाता विनिर्दिष्ट नहीं किया है तो इस नियम के अधीन संदाय का फायदा ऐसे पूर्वतर खातों की बाबत, जिनके लिये इस नियम के अधीन संदाय हो सकता है, अनुज्ञेय होगा।

(घ) खंड (क) मे (ग) मे किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी जमाकर्ता या उत्तरजीवी जमाकर्ता के पास एक से अधिक खाते हैं, और खातो की बाबत भिन्न-भिन्न नामनिर्देशन किये जाते हैं, तो इस नियम के अधीन संदाय का फायदा, उस पूर्वतम खातों का बाबत, जिनके लिये संदाय हो सकता सकता है, नामानर्देशियो को अनुज्ञेय होगा।";

(ङ) उपनियम (3) मे, "किसी अन्य खाते या 5 वर्षीय डाकघर सावधिक संचयी जमा खाते की बाबत" शब्दों और अक का लोप किया जायेगा।

[फा०स० 3/23/83-एन०एस०]

के० एम० शास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, सा०का०नि० सं० 666(अ), तारीख 17-12-1981 के द्वारा प्रकाशित किये गये थे। पश्चात्वर्ती सशोधन सा०का०नि० सं० 301(अ) तारीख 1-4-1982, सा०का०नि०सं० 258(अ), तारीख 11-3-1933 और सा०का०नि०सं० 62 (अ) तारीख 14-2-1984 द्वारा जारी किये गये थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 7th February, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 95(E):—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Recurring Deposit (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the first day of April, 1986.

2. In the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981,

(i) in rule 6, for the sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
"(2) The amount of monthly deposit on accounts opened on or after the 1st day of April, 1986 shall be a multiple of five rupees, subject to a minimum of ten rupees."

(ii) in rule 6, for the table below sub-rule (1), the following table shall be substituted, namely :—

"Advance deposite	Rebate for an account of Rs. 10 denomination.
(i) Six or more deposites but not exceeding eleven deposits made in any calendar month	One rupee
(ii) Twelve or more deposits made in any calendar month	Four rupees for every twelve deposits and one rupee for the balance, if any, of not less than six deposits.";

(iii) in rule 13,—

(a) in sub-rule (1)—

(i) For clause (i) the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) The payment of full maturity value under this rule shall be restricted to the maturity value of an account of denomination of fifty rupees";

(ii) clause (ix) shall be omitted;

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"2. (a) If a depositor or a surviving depositor has more than one account of the denominations not exceeding fifty rupees, the benefit of payment under this rule shall be available in respect of all such accounts which may be specified by the depositor or the surviving depositor, as the case may be, subject to a maximum of the maturity value of an account of denomination of rupees fifty.

(b) If a depositor or a surviving depositor has more than one account of the denominations exceeding fifty rupees, the benefit of payment under this rule shall be available in respect of only that account which may be specified by the depositor or the surviving depositor, as the case may be, subject to a maximum of the maturity value of an account of denomination of rupees fifty.

Provided that a depositor or a surviving depositor may, by an application to the Post Office Savings Bank where the account is held, change the account referred to in clause (a) or clause (b).

(c) If no account has been specified by a depositor or a surviving depositor under clause (a) or as the case may be under clause (b), the benefit of payment under this rule shall be admissible in respect of earlier accounts which qualify for payment under this rule.

(d) Notwithstanding anything contained in clauses (a) to (c), if a depositor or a surviving depositor, has more than one account, and different nominations are made in respect of the accounts, the benefit of payment under this rule shall be admissible to the nominees in respect of earier accounts which qualify for payment.",

(c) In sub-rule (3), the word and figure "in respect of any other account including a 5-year post Office Comulative Time Deposit Account" shall be omitted.

[F. No. 3/23/83-NS]

K. S. SASTRY, Jt. Secy.

NOTE : The principal rules were published vide G.S.R. 666(E) dated 17-12-1981. Subsequent amendments were issued vide G.S.R. No. 301(E) dated 1-4-1982, G.S.R. No. 258(E) dated 11-3-1983 and G.S.R. No 62(E) dated 14-2-1984.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986